5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

CANCELLED.

(26)

न्यायालय:- श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रा. निग. प्र. क्रमांक ------ /2017-18,
1/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2018/0972

झुल्ली उर्फ झुल्ली राम पिता प्यारेलाल पटेल.

उम्र 50 वर्ष, पेशा- कृषि, निवासी- ग्राम कचनारा, तह. गुनौर

जिला-पन्ना म.प्र. -------- आवेदक

B.O.R.
09 JAN 2018
12/01/18

श्री हरीश सक्सेना, अधि. द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

||बनाम||

(1) ज्ञानचंद्र पिता प्यारेलाल पटेल.

(2) श्रीमति मैनाबाई पुत्री प्यारेलाल पटेल पत्नि नेत्रपाल पटेल

(3) श्रीमति मुलामबाई पुत्री प्यारेलाल पटेल पत्नी बेटालाल पटेल.

(4) श्रीमति कल्लू बाई पत्नी झुल्लीराम पटेल पिता लक्ष्मण पटेल.

निवासी- क्रं. 1 से 4 ग्राम कचनारा, तह. गुनौर जिला- पन्ना म.प्र.

(5) श्रीमति गुलाबबाई पुत्री प्यारेलाल पटैल, पति रामेश्वर पटेल,

निवासी- ग्राम कमलापुरा तह. गुनौर जिला-पन्ना म.प्र.

---- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

//विरुद्ध//

न्यायालय श्रीमति अपर कमिश्नर महोदय सागर द्वारा प्र.क्रं. 284/अपील /2017-18 झुल्ली उर्फ झुल्लीराम बनाम ज्ञानचंद्र बगैरह में पारित आदेश दिनांक 05/12/2017 जिसके द्वारा आवेदक प्रस्तुत अपील को समय बाहर मानना जाकर खारिज किया गया है जिससे दुखित होकर

मान्यवर,

आवेदक निगरानीकर्ता का निवेदन निम्न है:-

1- यह कि, आवेदक ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमति अपर कमिश्नर महोदय सागर के न्यायालय मे द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी महो.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2018/972

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2017 के विरुद्ध दिनांक 20.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील लगभग 4 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है, जो अवधि वाह्य है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारण कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष भी विलंब के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	